संख्या-6/एफ1-304/16 श्र0सं0 2251

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

शैलेश कुमार
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक -24/5/16

विषय: राज्य योजना "श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण" का वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयन हेतु ₹ 2160.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ साठ लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि " श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 2160.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ साठ लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प सं0-96 वि0 (2) दिनांक-03.01.2008 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. इसके अन्तर्गत ही इस वार्षिक कार्य योजना पर तत्काल व्यय किया जायेगा । यह चालू योजना है ।

3. उक्त स्वीकृत राशि आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं0-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड- पी 2230011010108) के अन्तर्गत निम्नांकित इकाईयों से विकलनीय होगा :-

13-01	-	कार्यालय व्यय	-	36,15,000/-
13-02	-	वाहन का ईधन एवं रख रखाव	-	97,35,000/-
20-02	-	कान्फ्रेन्स कार्यशाला, सेमिनार	-	10,00,000/-
20-03	-	प्रशिक्षण व्यय	-	3,00,000/-
26-01	-	विज्ञापन और प्रकाशन	-	10,00,000/-
28-01	-	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	3,50,000/-
53-01	-	मुख्य निर्माण कार्य	-	20,00,00,000/-
योग -			-	₹ 21,60,00,000/-

(रूपये इक्कीस करोड़ साठ लाख) मात्र ।

4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 2160.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ साठ लाख) मात्र का उद्व्यय /बजट उपबंध स्वीकृत है । जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) कम्प्यूटराईजेशन एवं आधुनिकीकरण पर व्यय - ₹ 30.15 लाख

(ख) संविदा के आधार पर वाहन की व्यवस्था हेतु - ₹ 97.35 लाख

(ग) न्यूनतम मजदूरी का प्रचार-प्रसार पर व्यय - ₹ 10.00 लाख

(घ) लेखन सामग्री पर व्यय - ₹ 6.00 लाख

(ड.) सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षण एवं सिम्पोजियम पर व्यय - ₹ 10.00 लाख

(च) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण - ₹ 0.50 लाख

(छ) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियो के क्षमता का उन्नयन (प्रशिक्षण) पर व्यय - ₹ 2.50 लाख

(ज) डाटा इंट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक के भुगतान पर व्यय - ₹ 3.50 लाख

(झ) दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के निर्माण पर व्यय - ₹ 2000.00 लाख

- ₹ 21,60,00,000/-

(रूपये इक्कीस करोड़ साठ लाख) मात्र ।

5. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।
6. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
7. इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना /मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना /सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित) /सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित) /श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना /मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना /सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी कारखाना निरीक्षक /पुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना /सभी वाष्पित्र निरीक्षक एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।
8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/ उप कोषागार/ विकास भवन कोषागार, पटना / सिंचाई भवन कोषागार, पटना से होगी ।

विश्वासभाजन,

(शैलेश कुमार) 24/5/16
संयुक्त सचिव। 20/5/16

ज्ञाप संख्या-6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 2251 पटना, दिनांक 24/5/16

प्रतिलिपिः- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/ मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना /मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना / सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित)/ श्रमायुक्त के सचिव, बिहार पटना / सभी कारखाना निरीक्षक / सभी वाष्पित्र निरीक्षक / प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाध्न विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/प्रशाखा-06 श्रम पक्ष (01 अतिरिक्त प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शैलेश कुमार) 24/5/16
संयुक्त सचिव।